न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 17/2019
प्रविष्टि दिनांक 1–7–2019

1–कजोड़ पुत्र गंगाराम मीणा निवासी बारेड़ा तहसील निवाई जिला–टोंक राज0
2–रामलाल पुत्र हरजी मीणा निवासी बारेड़ा तहसील निवाई जिला–टोंक राज0
3–हरफूल पुत्र कजोड़ मीणा निवासी बारेड़ा तहसील निवाई जिला–टोंक राज0
4–हरिनारायण पुत्र कजोड मीणा निवासी बारेड़ा तहसील निवाई जिला–टोंक राज0
5–इन्द्रा पत्नि हरफूल मीणा निवासी बारेड़ा तहसील निवाई जिला–टोंक राज0
6–प्रसन्न पत्नि हरिनारायण मीणा निवासी बारेड़ा तहसील निवाई जिला–टोंक राज0
7–बद्री पुत्र हरजी मीणा निवासी बारेडा तहसील निवाई जिला–टोंक राज0
8–रामरेश पुत्र फूलचन्द मीणा निवासी बारेडा तहसील निवाई जिला–टोंक राज0
9–श्योजी पुत्र हरिनारायण मीणा निवासी बारेड़ा तहसील निवाई जिला–टोंक राज0
10–विनोद पुत्र हरिनाराण मीणा निवासी बारेड़ा तहसील निवाई जिला–टोंक राज0

.............अपीलान्ट्स

वनाम

1– किशनलाल पुत्र हेमचन्द मीणा निवासी कोठया की डाणी मुण्डिया तहसील निवाई जिला–टोंक राज0
2– तहसीलदार निवाई जिला–टोंक

.... रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट विरुद्व निर्णय तहसीलदार निवाई दिनांक 16–4–2019 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी किशनलाल आदि बनाम कजोड़ आदि

उपस्थिति : (1) श्री दोलतराम चोधरी अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री तेजमल जैन अभिभाषक रेसपोडेण्ट
(3) श्री मजहर आलम राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 22–9–2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 16–4–2019 को अपीलाण्ट्स को प्रकरण सं0 5/2017 अन्तर्गत धारा 183 बी आर0टी0एक्ट के तहत निर्णय पारित कर रेस्पोडेण्ट सं0 1 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट्स को आराजी खसरा नंबर 29/4 रकबा 12 बीघा भूमि पर किये गये कब्जे को बेदखल कर भूमि का कब्जा प्रार्थी किश... को सुपुर्द किये जाने तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप में दण्डित कर... आदेश पारित किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:48:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलवी रेस्पोडेण्ट्स जरिये नोटिस की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना पत्र दफा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण में उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स को आराजी खसरा नंबर 29/4 रकबा 12 बीघा भूमि पर किये गये कब्जे को वेदखल कर भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया गया एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अध्ययन नहीं किया गया जो गलत एंव न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार निवाई द्वारा राज0टिनेन्सी एक्ट के तहत 183 बी की जो कार्यवाही की गई है वह प्रथम तो चलने योग्य नही थी क्योंकि दोनो पक्षकार ही अनुसूचित जन जाति के सदस्य थे यह कार्यवाही केवल अनुसूचित जाति/ जन जाति के व्यक्तियों की भूमि पर स्वर्ण जाति के लोगो द्वारा कब्जा करने पर ही की जानी चाहिये थी। विवादित भूमि खसरा नम्वर 29/4 रकवा 12 बीघा भूमि मौके पर कोई भूमि नहीं है राजस्व खसरा शीट में खसरा नम्वर 29/4 रकवा 12 बीघा की कही कोई तरमीम नहीं है। रेस्पोडेण्ट नं0 1 के कब्जे काश्त बाबत कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसका आज तक कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। धारा 183 बी के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए यह लिखना तथा इस बात को साबित करना आज्ञापक है कि गत 12 वर्ष के भीतर उसका कब्जा रहा हो ओर उसे नाजायज रूप से इस अवधि के दौरान वेदखल किया गया हो, मियाद का प्रश्न देखा जाना तथा निर्धरित किया जाना इस कार्यवाही के तहत अनुतोष प्रदान करने से पूर्व कानूनी रूप से आज्ञापक है, अधीनस्थ न्यायालय से इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान को नजर अन्दाज कर दिया तथा कानून की अनदेखी करते हुए मनमर्जी पूर्वक अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अवैध एंव कानूनी रूप से प्रभावशून्य है तथा चलने योग्य नहीं है।

दौराने वहस अभिभाषक अपीलान्ट्स का यह भी कथन रहा कि वादग्रस्त भूमि पहले सिवायचक भूमि थी जिस पर वर्षो से लेकर आज तक अपीलान्ट व उसके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि को विना कब्जे के धूल्या तेली निवासी जामडोली को कागजी तोर पर आवंटन करदी थी। आवण्टी द्वारा वादग्रस्त भूमि का वेचान राधा उर्फ चित्रा पत्नि मोहनलाल निवासी शिवदासपुरा तह0 चाकसू आदि को अन्तरण कर दिया परन्तु उन्होंने भी दिनांक 26–12–2014 को अवैधानिक तरीका अपनाकर विना किसी अधिकार एंव विना भैतिक कब्जे के रेस्पोंडेण्ट सं0 1 के नाम विक्रय पत्र तहरीर करवाकर पंजीयन करवा दिया। वास्तविकता यह है कि उस स्थान पर खसरा नम्वर 29/10 व 29/11 है जो कि अपीलान्ट्स के आवण्टनशुदा भूमि का [illegible] है जो नक्शा ट्रेस से सावित है, खसरा नम्बर 29/10 रामलाल पुत्र [illegible] खसरा नम्वर 29/11 हरफूल पुत्र. कजोड़ की आवण्टनशुदा भूमि है। रेस्पोडेण्ट [illegible] खसरा नम्वर 29/10 व 29/11 की भूमि को खसरा नम्वर [illegible] की भूमि [illegible] अपीनलान्ट्स को उक्त भूमि से वेदखल कराना चाहता है तथा [illegible] चाहता है। इसी वादग्रस्त भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:48:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

लेकर पूर्व में भी 1995 व 2017 में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है। भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा होने के बावजूद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया है वह मौके,तथ्यों एंव विधि के विरूद्व पारित किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16-4-2019 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा अपील में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु दफा-5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अभिभाषक अपीलाण्ट्स की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि ग्राम जामडोली की आराजी खसरा नम्बर 29/4 रकबा 12 बीघा भूमि दिनांक 26-12-2014 को क्रय की थी जिसका रेस्पोडेण्ट एक मात्र रिकार्डेड खातेदार ओर मालिक है। उक्त आराजी से अपीलान्ट्स का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु अपीलान्ट्स जो कि सरजोर लड़ाकू, झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है और इन लोगों ने मिलकर दिनांक 7-7-2017 को रेस्पोडेण्ट्स को कमजोर व्यक्ति होने के कारण लट्ठ के बल पर भूमि पर कब्जा कर लिया ओर मोके पर पतथरगढ़ी तक नहीं करने दी है। अपीलान्ट संख्या में अधिक हैं ओर राजनैतिक पहूँच वाले व्यक्ति हैं रेस्पोडेण्ट भूमि पर काश्त नहीं करने देते ओर लड़ाई झगड़ा कर मारने पर उतारू रहते हें इस कारण रेस्पोडेण्ट्स ने तहसीलदार निवाई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया था तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकार्ड, मौका देखा जाकर तथा मौके पर मोतबिरान के बयानों के आधार पर निर्णय पारित किया है। तहसीलदार निवाई द्वारा पारित निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलान्टस अस्वीकार की जावे।

पेरोकार सरकार ने अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1 की बहस का समर्थन किया ओर कथन किया कि अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा हैं जिसे हटवाने हेतु तहसीलदार निवाई के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर उक्त निर्णय पारित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परित निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जाहिर है कि तहसीलदार निवाई ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 की आराजी खसरा नंबर 29/4 रकबा 12 बीघा भूमि पर किये गये कब्जे को बेदखल कर भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 वी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की भूमि पर अतिक्रमियों के विरूद्व त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करने के लिए संक्षिप्त कार्यवाही का प्रावधान किया गया हैं तथा यह प्रावधान समाज के गरीब व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। अपीलान्ट्स ने भूमि के स्वामित्व के बारे में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये है केवल बार-बार भूमि पर उनके पूर्वज व उनका कब्जा होना ही माना है। अपीलान्टस का तथाकथित भूमि पर कब्जा मान भी लिया जावे तो वह अवैधानिक है, चूँकि अपीलान्टस रिकार्डेड खातेदार नहीं है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 बाबत ग्राम जामडोली में रेस्पोडेण्ट सं01 खातेदार है, जिसकी भूमि पर अपीलान्ट्स ने अवैध कब्जा कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित एंव विधि अनुसार प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:48:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 16–4–2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22–9–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:48:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner